FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :–अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बालुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बारवा तह.बाली जिला पाली राज.		1. सरपंच ग्राम पंचायत बारवा तह.बाली 2. कानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह 3. शंकरसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह 6. वैनसिंह पुत्र भंवरसिंह 7. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण ग्राम बारवा तह. बाली जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत स्थगन संख्या 113/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/127)

अन्तर्गत धारा 97(2) पंचायत राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
01.03.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 01.05.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली	क्र. 406 दिनांक : 01/03/24 को नोटिस जारी।
1/5/24	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नोटिस अस्तगीत प्राप्त पुनः जारी होकर दि० 15/5/24 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	
15/5/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थगन प्रार्थना पत्र लगभग 2 वर्षों से लम्बित है। प्रार्थना पत्र का औचित्य ही समाप्त हो गया है अनुश्रवण, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली दैनिक क्रमांक होकर नम्बर से कर दो। मूल पत्रावली के साथ सलग्न की जावे। निर्णय सुनाया गया। 15/5/24 अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	